<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।</u>

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1142/2026

(CNR No.UPBH010032992026)

देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह उम्र 51 वर्ष पुत्र स्व० रामफल सिंह, निवासी–मोहनापुर माफी, थाना–पयागपुर, जनपद–बहराइच––– –––आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

राज्य उ०प्र०––– –––अभियोगी।

अपराध संख्या–76/2026,
धारा–319(2),318(4),338,336(3),
340(2),61(2) बी०एन०एस०,
थाना–कोतवाली नगर, जनपद–बहराइच।

–––––––

<u>निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

<u>**दिनांक–23.06.2026**</u>

थाना–कोतवाली नगर, जनपद–बहराइच के अपराध सं०–76/2026, अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी०एन०एस० के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र व संलग्न शपथ–पत्र में कथन किया गया कि उसका यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय पर प्रथम है। उसके द्वारा कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी भी अन्य न्यायालय पर नहीं दिया गया है और न ही लम्बित है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार न्यायिक, बहराइच पर वाद सं०–T202208150102856 धारा–34 एल०आर० एक्ट ग्राम शहरी क्षेत्र बहराइच रवि पटवारी बनाम सुधा मातनहेलिया नामान्तरण सुनवायी में चल रहा है। वाद उपरोक्त में रवीन्द्र सिंह पुत्र स्व० रामफल सिंह निवासी ग्राम मोहनापुर माफी, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच जो देवेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह का बड़ा भाई है। आपस में दोनों भाई सांठ–गांठ कर दिनांक–30.01.2026 को रवीन्द्र सिंह ने बैनामा शून्य करने हेतु प्रार्थना–पत्र न्यायालय उपरोक्त पर आपत्ति दाखिल कर दिया तथा दाखिल प्रपत्रों की सूची आदेश– नियम–1 के द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र वादिनी सुधा मातनहेलिया के पति अरूण कुमार मातनहेलिया दिनांकित–22.07.2022 व जांच रिपोर्ट दिनांकित–24.06.2023 आदि दाखिल किया गया है। यह कृत्य आपराधिक कृत्यों को छिपाने के उद्देश्य से कूटरचित, धोखाधडी, छलकपट व मुकदमें में लाभ पाने के लिए कूटरचित दस्तावेज अभियुक्त रविन्दर सिंह एवं उसके भाई देवेन्द्र सिंह साथ मिलकर साजिश करके नगर पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साजिशी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उसके पति अरूण कुमार मातनहेलिया की मृत्यु प्रमाण–पत्र बनवाया था, जिसका न्यायालय तहसीलदार न्यायिक की अदालत पर अनुचित लाभ पाने के लिए इस मृत्यु प्रमाण–पत्र को दोबारा लगाया गया, जिसकी जांच पुलिस द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से करायी गयी थी, जो फर्जी व कूटरचित पाया गया।

वादिनी द्वारा पुलिस अधीक्षक, बहराइच को दी गई उक्त तहरीर पर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार दिनाँक–06.04.2026 को समय 03:41 बजे आवेदक/अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह एवं सह–अभियुक्त रविन्दर सिंह व अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध सं०–76/2026, अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी०एन०एस० के अपराध में थाना–कोतवाली नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना प्रचलित है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुये कहा कि यह कि वादिनी मुकदमा के द्वारा लगाए गए आरोप झूंठे है। वादिनी मुकदमा ने दिनांक–30.05.2020 को एक प्रार्थना–पत्र नगर पालिका, बहराइच को अपने पति अरुण

कुमार मातनहेलिया का मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु दिया था, जिस पर वादिनी के द्वारा दो गवाहों के रूप में तिलकचंद सिंह और महराजदीन तिवारी के हस्ताक्षर भी कराये गए थे और स्वयं वादिनी के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अपने पति के मृत्यु का स्थान अपना घर तथा मृत्यु का दिनांक–27.08.2017 लिखा गया था। चूंकि वादिनी के द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र में अंकित मृत्यु दिनांक–27.08.2017 लिखा गया था, इसलिए उक्त सर्टीफिकेट जारी किये जाने हेतु एस०डी०एम०, बहराइच को क्षेत्राधिकार प्राप्त था। तत्समय एस०डी०एम०, सदर, बहराइच के द्वारा पूरी जांच पड़ताल करने के उपरांत अपने पत्रांक सं०–539 दिनांकित–03.06.2020 के जरिये मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई, जिसके आधार पर दिनांक–17.06.2020 को अरुण कुमार मातनहेलिया का मृत्यु प्रमाण–पत्र तत्समय रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)/नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच के द्वारा जारी किया गया। वादिनी मुकदमा के द्वारा आवेदक/अभियुक्त व अन्य के ऊपर अपने पति के अपहरण का जो मुकदमा दायर किया गया था उन मुकदमों में जब उसने सुधा मातनहेलिया के द्वारा जारी कराये गए मृत्यु प्रमाण–पत्र और उससे संबंधित दस्तावेजों को न्यायालय पर लगाया गया, तब उसी समय सुधा मातनहेलिया के द्वारा दिनांक–29.08.2022 को एस०डी०एम०, सदर, बहराइच के समक्ष मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांकित–17.06.2020 को निरस्त किये जाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र दिया गया, जिसके संदर्भ में तत्समय 4 सदस्यों की एक जांच समिति ई०ओ० नगर पालिका परिषद, बहराइच के द्वारा बनायी गयी तथा जांच समिति ने जाँचोपरांत दिनांक–28.10.2022 को अपनी रिपोर्ट ई०ओ० नगर पालिका परिषद को प्रस्तुत किया तथा अपनी रिपोर्ट में जांच समिति ने सुधा मातनहेलिया के अन्य दस्तावेजों पर बने हस्ताक्षर तथा प्रार्थना–पत्र दिनांकित–30.05.2020 पर बने हस्ताक्षर में समानता पाए जाने का उल्लेख किया, परंतु सुधा मातनहेलिया अपने बयानों में अपने हस्ताक्षर होने से इंकार कर रही थी, इसलिए हस्ताक्षर मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला एक्सपर्ट लखनऊ को प्रपत्र भेजे गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ को प्रपत्र भेजने के पश्चात लगभग 6–7 महीनों तक कोई रिपोर्ट/कार्यवाही विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ से प्राप्त नहीं हुई, तब उसके भाई रवींद्र सिंह ने दिनांक–27.05.2023 को एस०डी०एम०, सदर, बहराइच को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से वादिनी मुकदमा सुधा मातनहेलिया के हस्ताक्षर मिलान कराने हेतु एक प्रार्थना–पत्र दिया गया, जिसके संदर्भ में एस०डी०एम०, सदर, बहराइच के द्वारा ई०ओ० नगर पालिका परिषद को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा कर रिपोर्ट को चीफ रजिस्ट्रार या संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके उपरांत EO नगर पालिका परिषद ने अपने पत्रांक दिनांकित–31.05.2023 के माध्यम से नगर स्वास्थ्य अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), नगर पालिका परिषद, बहराइच को गवर्नमेंट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराने हेतु संदर्भित किया, जिसके उपरांत नगर स्वास्थ्य अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नगर पालिका परिषद, बहराइच ने अपने पत्रांक दिनांकित–01.06.2023 के माध्यम से पूरे मामले को फॉरेंसिक एक्सपर्ट लखनऊ को भेज दिया। FSL लखनऊ ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित–03.06.2023 के द्वारा यह निष्कर्ष दिया कि प्रार्थना–पत्र दिनांकित–30.05.2020 में अंकित हस्ताक्षर व सुधा मातनहेलिया के नमूना हस्ताक्षर एक ही जैसे हैं, जिसके उपरांत FSL लखनऊ की रिपोर्ट को नगर स्वास्थ्य अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), नगर पालिका परिषद, बहराइच के द्वारा अपने पत्रांक दिनांकित–14.06.2023 के माध्यम से EO नगर पालिका परिषद, बहराइच को अग्रसारित कर दिया गया। तदोपरांत EO नगर पालिका परिषद, बहराइच के द्वारा अपने पत्रांक दिनांकित–17.06.2026 के माध्यम से S.D.M. सदर, बहराइच को यह रिपोर्ट अग्रसारित की गयी कि मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करवाने हेतु दिये गए प्रार्थना–पत्र दिनांकित–30.05.2020 पर सुधा मातनहेलिया के ही हस्ताक्षर हैं। S.D.M. सदर, बहराइच के द्वारा पूर्व में भेजी गयी रिपोर्टों के आधार पर पत्रांक दिनांकित–24.06.2023 के माध्यम से सुधा मातनहेलिया को यह सूचित किया कि अरुण कुमार मातनहेलिया के मृत्यु प्रमाण–पत्र को जारी करवाने हेतु दिये गए प्रार्थना–पत्र पर सुधा मातनहेलिया के हस्ताक्षर हैं। वादिनी सुधा मातनहेलिया के द्वारा अपने पति का कूटरचित मृत्यु प्रमाण–पत्र बनवाए जाने के संदर्भ में सीजेएम महोदय के न्यायालय पर एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–156(3) द०प्र०सं० का सुरेंद्र पाल, तिलकचंद सिंह, रवींद्र सिंह, देवेंद्र सिंह और नगर पालिका से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दायर किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा मुकदमा लिखे जाने का आदेश पारित किया गया। कूटरचित मृत्यु प्रमाण के संदर्भ

में वादिनी द्वारा दिये गए प्रार्थना–पत्र पर अपराध सं–335/2023, अंतर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा०द०सं०, थाना–दरगाह शरीफ पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। आवेदक/अभियुक्त ने अपहरण के मुकदमे में अपना उन्मोचन प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीज़न संख्या–1107/2023 प्रस्तुत किया, तब वादिनी के द्वारा क्रिमिनल रिवीज़न के सुनवाई के समय माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को जान–बूझकर नहीं बताया गया कि कूटरचित मृत्यु प्रमाण–पत्र के संदर्भ मे थाना–दरगाह शरीफ पर अपराध सख्या–335/2023 अंतर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा०द०सं० पहले से ही दर्ज है और फिर आवेदक/अभियुक्त के द्वारा दायर की गयी क्रिमिनल रिवीज़न को निरस्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कूटरचित मृत्यु प्रमाण–पत्र के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, बहराइच को मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर कूटरचित मृत्यु प्रमाण–पत्र के संदर्भ में पुनः एक मुकदमा अपराध संख्या–415/2023, अंतर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120B भा०द०सं० का थाना–दरगाह शरीफ पर पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे में आवेदक/अभियुक्त पूर्व से जमानत पर रिहा है तथा इस मुकदमे से संबंधित आरोप–पत्र न्यायालय पर आ चुका है, जोकि न्यायालय पर विचाराधीन है। उपरोक्त मुकदमे की प्रथम FIR में जिस मुकदमे में न्यायिक तहसीलदार के न्यायालय पर कथित कूटरचित मृत्यु प्रमाण–पत्र को सह–अभियुक्त रवींद्र सिंह के द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ दाखिल किये जाने का आरोप लगाया गया है उस संबंध में यह निवेदन करना है कि आवेदक/अभियुक्त की एक संपति स्थित बहराइच खास गाटा सं०–1174/1 से बिल्कुल मिली हुई वादिनी की भी प्रॉपर्टी है, जिसका भी गाटा संख्या 1174 है। वादिनी मुकदमा ने धोखे से जालसाजी करते हुए गाटे में अपने हिस्से से अधिक की भूमि का बैनामा रवि पटवारी को कर दिया था, जिस संबंध में आवेदक/अभियुक्त के सगे भाई रवींद्र सिंह ने वादिनी के विरुद्ध मुकदमा लिखे जाने हेतु सी०जे०एम०, बहराइच के न्यायालय पर एक 156(3) द०प्र०सं० का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सी०जे०एम० द्वारा SDM सदर बहराइच से रिपोर्ट मंगाई गई। SDM सदर बहराइच ने अपने रिपोर्ट दिनांकित–10.01.2023 के माध्यम से न्यायालय को यह सूचित किया गया कि वादिनी ने अपने हिस्से से अधिक की जमीन बेंच दी है और फिर रिपोर्ट के आधार पर माननीय CJM महोदय के द्वारा वादिनी के विरुद्ध मुकदमा लिखे जाने का आदेश पारित किया गया, जिस पर अपराध संख्या–343/2023, अंतर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा०द०सं०, थाना–दरगाह शरीफ, बहराइच पर लिख गया, जिसमें पुलिस द्वारा जान बूझकर गलत ढंग से विवेचना करते हुए मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी, जिसके विरुद्ध आवेदक/अभियुक्त के भाई रवींद्र सिंह ने संबंधित न्यायालय पर प्रोटेस्ट प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। वादिनी मुकदमा अपने हिस्से से अधिक जो संपति रवि पटवारी को बेची थी उस रवि पटवारी ने दाखिल खारिज का एक वाद दिनांक–15.03.2022 को न्यायिक तहसीलदार सदर, बहराइच के न्यायालय पर दायर किया, जिसकी वाद संख्या–T202208150102856 है। उक्त वाद में न्यायालय के आदेश से रवि पटवारी के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाने का आदेश दिनांक–25.07.2023 को किया गया, जिसके पश्चात आवेदक/अभियुक्त के भाई रवींद्र सिंह दिनांक–04.08.2023 को रिस्टोरेशन का एक वाद आदेश दिनांकित–25.07.2023 के विरुद्ध दायर किया, जिसको न्यायिक तहसीलदार सदर बहराइच के द्वारा आदेश दिनांकित–25.07.2023 के माध्यम से मंजूर फरमाया गया। रिस्टोरेशन के वाद के विरुद्ध दिनांक–18.08.2023 को रवि पटवारी के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा इसी आपत्ति (रवि पटवारी की) के विरुद्ध दिनांक–03.02.2026 को आवेदक/अभियुक्त के भाई रवींद्र सिंह ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। उक्त आपत्ति दिनांकित 03.02.2026 को प्रस्तुत किये जाते समय तक अरुण कुमार मातनहेलिया के मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांकित–17.06.2020 को किसी भी सरकारी एजेंसी या न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया था। बदनियती से और मात्र फर्जी मुकदमा लिखे जाने के उद्देश्य से वादिनी मुकदमा पुलिस अधिकारी व सरकारी कर्मचारियों ने आपस में सांठ–गांठ करके पहले तो दिनांक–01.04.2026 को बिना किसी आधार के एवं नियमों के विरुद्ध जाकर अरुण कुमार मातनहेलिया का मृत्यु प्रमाण–पत्र EO नगर पालिका परिषद, बहराइच के द्वारा निरस्त किया गया तथा इसके 5 दिनों के पश्चात उपरोक्त मुकदमे की FIR आवेदक/अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत कर दी गयी। उपरोक्त मुकदमे की FIR 2 महीने के विलंब से लिखवाया गया है, जिसका कोई कारण वादिनी के द्वारा नहीं बताया गया तथा

इसी कूटरचित मृत्यु प्रमाण–पत्र के बनवाये जाने को लेकर पहले से ही एक मुकदमा अपराध संख्या–415/2023, अंतर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120B भा०द०सं०, थाना–दरगाह शरीफ का संबंधित न्यायालय पर विचाराधीन है, जिसमें गुण–दोष के आधार पर विचारण होना है। वादिनी के द्वारा जिस न्यायालय पर कूटरचित मृत्यु प्रमाण–पत्र मुकदमे के कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है उस संबंधित न्यायालय पर वादिनी के द्वारा कूट रचित मृत्यु प्रमाण–पत्र के संदर्भ में कोई शिकायत या प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने न तो कोई कूटरचित मृत्यु प्रमाण–पत्र बनवाया है और न ही किसी मुकदमे में उसको प्रस्तुत किया है। उसके विरुद्ध मात्र षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। वादिनी मुकदमा के द्वारा उसके विरुद्ध लगभग 9 मुकदमे लिखवाया गया। मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी मुकदमा और पुलिस प्रशासन की आपसी साजिश से लिखी गई है इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वादिनी मुकदमा ने देवेंद्र सिंह व रविंद्र सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस ने रविंद्र सिंह व देवेंद्र सिंह के साथ–साथ अन्य लोग के विरुद्ध भी FIR लिखी है, जिससे कि मुकदमे की पैरवी करने वाले लोगों को भी मुल्जिम बनाया जा सके। आवेदक/अभियुक्त को आज तक किसी भी मुकदमे में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त एक राजनैतिक व्यक्ति है तथा राजनैतिक विद्वेष व जमीनी विवाद के कारण प्रशासन व शासन के इशारे पर वादिनी मुकदमा ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस से साजिश व सांठ–गांठ करके उसके विरुद्ध उपरोक्त मुकदमे के साथ–साथ तमाम मुकदमे लिखवाए हैं, जिससे कि उसे जेल भेजकर उसके मान–सम्मान व प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह अत्यंत गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और आज भी उसका इलाज चल रहा है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना किया कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए संयुक्त रूप से यह तर्क दिया है कि न्यायालय तहसीलदार न्यायिक, बहराइच पर वाद सं०–T202208150102856 धारा–34 एल०आर० एक्ट ग्राम शहरी क्षेत्र बहराइच रवि पटवारी बनाम सुधा मातनहेलिया नामान्तरण सुनवायी में चल रहा है, जिसमें रवीन्द्र सिंह, जो आवेदक/अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह का बड़ा भाई है। आवेदक/अभियुक्त ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक–30.01.2026 को सह–अभियुक्त रवीन्द्र सिंह ने बैनामा शून्य करने हेतु प्रार्थना–पत्र न्यायालय उपरोक्त पर आपत्ति दाखिल कर दिया तथा दाखिल प्रपत्रों की सूची आदेश– नियम–1 के द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र वादिनी सुधा मातनहेलिया के पति अरूण कुमार मातनहेलिया दिनांकित–22.07.2022 व जांच रिपोर्ट दिनांकित–24.06.2023 आदि दाखिल किया गया है। यह कृत्य आपराधिक कृत्यों को छिपाने के उद्देश्य से कूटरचित, धोखाधडी, छलकपट व मुकदमें में लाभ पाने के लिए कूटरचित दस्तावेज अभियुक्त रविन्दर सिंह एवं उसके भाई देवेन्द्र सिंह साथ मिलकर साजिश करके नगर पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साजिशी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उसके पति अरूण कुमार मातनहेलिया की मृत्यु प्रमाण–पत्र बनवाया था, जिसका न्यायालय तहसीलदार न्यायिक की अदालत पर अनुचित लाभ पाने के लिए इस मृत्यु प्रमाण–पत्र को दोबारा लगाया गया, जिसकी जांच पुलिस द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से करायी गयी थी, जो फर्जी व कूटरचित पाया गया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं। । साक्ष्य संकलित होना शेष है। यदि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो वह न्यायालय की शर्तों का उल्लंघन करेगा। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी व थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध यह अभियोग है कि उसने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर षड्यंत्र कर छल, कपट, धोखाधड़ी व कूटरचना करके वादिनी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उसके पति अरुन कुमार मातनहेलिया का मृत्यु प्रमाण–पत्र तैयार करवाकर उसे दो बार प्रयोग में लाकर लाभ प्राप्त

किया। उक्त मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना–दरगाह शरीफ में मुकदमा अपराध सं०–335/2023 पंजीकृत कराया गया, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त मामले के विपक्षी सं०–1 सुरेन्द्र पाल, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा उसके व उसके नौकर के हस्ताक्षर बनाये जाने के बारे में सह–अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–156(3) द०प्र०सं० में न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पंजीकृत हुई, जिसमें वादिनी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त मामले में बाद विवेचना पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दाखिल की गई। उसके पश्चात् वादिनी मुकदमा के पति के अपहरण और उसकी मृत्यु कारित करने के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध सं०–415/2023 पंजीकृत हुआ, जो विचाराधीन है। मुकदमा अपराध सं०–335/2023 में मृत्यु प्रमाण–पत्र के फर्जी होने की अन्तिम रिपोर्ट लगने के पश्चात् पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्त रविन्दर सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। केस डायरी के अवलोकन से यह विदित होता है कि सह–अभियुक्त रविन्दर सिंह के द्वारा उक्त कथित मृत्यु प्रमाण–पत्र का प्रयोग किया जाना दर्शित है। उक्त विवादित सम्पत्ति के नामान्तरण में सह–अभियुक्त रविन्दर सिंह वादिनी मुकदमा के साथ सहखातेदार है, जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। आवेदक/अभियुक्त के उक्त विवादित सम्पत्ति के नामान्तरण में सहखातेदार होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व के मामले में भी आवेदक/अभियुक्त जमानत पर था। ऐसा कोई तथ्य अभियोजन द्वारा दाखिल नहीं किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसे पूर्व में प्रदत्त जमानत का दुरुपयोग किया गया हो, क्योंकि आवेदक/अभियुक्त उक्त विवादित गाटा में न तो सहखातेदार है और न ही नामान्तरण की कार्यवाही उसके नाम दर्ज है। प्रकरण अभिलेखीय साक्ष्य पर आधारित है एवं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जावेः–

i. मामले में विवेचना प्रचलित है। अतः आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आहूत किये जाने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करेगा तथा मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वह मामले की नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

ii. आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथियों में साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

iii. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगा, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।

iv. आवेदक/अभियुक्त धारा–313 द०प्र०सं०(351 बी०एन०एस०एस०) के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा, विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा।

v. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

vi. आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त अपराध जैसा, जिसको करने का अभियुक्त पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(पवन कुमार शर्मा–II)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनाँकः–23.06.2026 **Id.No–UP02017**